208

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक–14 / वि.1–1033 / 24–734 पटना, दिनांक–22.11.24

प्रेषक,

पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (असैनिक),
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक),
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

विषयः– 'हर घर नल का जल' योजना के सतत् संचालन, सुदृढ़ीकरण एवं आच्छादन अभियान के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक–580, दिनाक–24.10.2010, पत्रांक–457 दिनांक–25.09.2024 एवं पत्रांक–643, दिनांक–30.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे; जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित एवं संचालित एवं पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित योजना का गहन निरीक्षण अभियान चलाकर योजना को संचालित किया गया। इस संबंध में विशेष रुप से दिनांक 22.10.2024 को राज्य व्यापी 'हर घर नल का जल' निरीक्षण अभियान में कुल निरीक्षण–44,939, अकार्यरत–10,158, मरम्मति कर कार्यरत–9711 एवं विभागीय पदाधिकारी; अभियंता एवं कर्मी (खलासी एवं की मैन चौकीदार) द्वारा कुल निरीक्षण–42,519, अकार्यरत–4,102, मरम्मति कर कार्यरत–3,637 योजनाओं, साप्ताहिक निरीक्षण मे भी अकार्यरत योजनाओं को चालू किया गया। इसी क्रम में पुनः दिनांक 20–21 नवम्बर–2024 को पेयजल योजना का पेयजल (PayJal) मोबाईल एप्प के माध्यम से राज्यव्यापी PayJal सर्वेक्षण अभियान चलाया गया, जो MIS पर उपलब्ध है। इस अभियान के दौरान भी कई योजनायें अकार्यरत के अतिरिक्त त्रुटिपूर्ण आधारभूत संरचना वाला एवं आच्छादन क्षेत्र में छुटे हुए घर पाया गया, जिनका समय सीमा के अंतर्गत निराकरण किया जाना है। आपको यह भी अवगत कराना है कि विभागीय संकल्प–1676 दिनांक–12.08.2024 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित योजनाओं का अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु संवेदक का भी चयन कर उन्हें कार्य में लगाया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत PHED वार्ड में पूर्व से ही समेकित विस्तृत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत संवेदक द्वारा निर्माण के उपरान्त 5 वर्षों का रख–रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है। अतः 'हर घर नल का जल' योजनाओं के सतत् संचालन हेतु समयवद्ध कार्यक्रम निम्नरुप से निर्धारित किया जाता है :–

(क) सतत् पेयजल संचालन कार्यक्रम : (23–30 नवंबर–2024) पेयजल एप्प के माध्यम से सर्वेक्षित योजना विभिन्न कारणों से बंद है जो MIS पर उपलब्ध है। उपरोक्त योजनओं की मरम्मति का शत–प्रतिशत संचालन 30 नवंबर 2024 तक सुनिश्चित की जाए।

209

(ख) पेयजल योजना का सुदृढ़करण कार्यक्रम (23 नवंबर–10 दिसंबर–2024) सर्वेक्षण के क्रम में पेयजल संरचनाओं, यथा– बोरिंग, मोटर स्टार्टर, पाईप लाईन, स्टैंड पोस्ट, स्टील स्ट्रक्चर, क्लोरिनेटर/वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आधारभूत संरचना त्रुटिपूर्ण पाई गई है। योजना का सभी घरों तक पेयजल आपूर्ति एवं दीर्घकालीन योजनाओं के सतत क्रियाशीलता बनाये रखने हेतु उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। अतः उनका सुदृढ़ीकरण हर हाल में 10 दिसम्बर, 2024 तक सुनिश्चित किया जाए।

(ग) पेयजल आच्छादन कार्यक्रम : (1–20 दिसंबर–2024) मुख्यमंत्री 'हर घर नल का जल' पेयजल आपूर्ति निश्चय योजना के तहत सभी वार्डों में योजनाओं का निर्माण लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया गया। हर घर नल का जल' के अंतर्गत राज्य के ऐसी महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर तभी शत–प्रतिशत परिलक्षित होगी, जब सभी घरों तक 'हर घर नल का जल' से आच्छादित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त योजना के विस्तारीकरण हेतु कालांतर में नये बसावटों को आच्छादित करने के उद्देश्य से छुटे हुए टोलों की योजनाओं को अलग से सर्वेक्षित एवं स्वीकृत या सर्वेक्षण किया गया है, जिसका मूल लक्ष्य उन छुटे हुए टोलों में रहनेवाले हर घर–परिवार को नल का जल उपलब्ध कराया जाय। लेकिन पूर्व से संचालित योजनाओं के आच्छादन क्षेत्र में नये घर का निर्माण एवं छुटे हुए घरों का आच्छादित किया जाना है एवं कई ऐसे क्षेत्र है, जहाँ पर पेयजल संरचना (Pipe line Network) रहने के बावजूद अंतिम छोर पर बसे हुए घरों तक में पानी नहीं पहुँच पाता है। उन घरों तक पाईप लाईन नेटवर्क को मजबूत कर छुटे हुए घरों को पेयजल मुहैया सुनिश्चित कराया जाना है।

उपर्युक्त अभियान के साथ पेयजल योजना का सतत् निरीक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण जारी रखा जायगा, ताकि योजनाओं को सतत् क्रियाशील करने के साथ कलांतर में दिनानुदिन योजनाओं में होने वाली समस्या के कारण बाधित जलापूर्ति का समेकित, विस्तृत दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के अधीन शत प्रतिशत सतत् संचालन व्यवस्था सुनिश्चित की सके। इसका दैनिक अनुश्रवण पूर्व की भांति की जायगी।

इसे अत्यावश्यक समझे।

विश्वासभाजन,

(पकंज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–734 दिनांकः–22.11.24

प्रतिलिपिः–सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पकंज कुमार)
प्रधान सचिव